

## प्रशासनिक आदेश

पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 13.12.2023 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए जनपद न्यायालय, गोण्डा में सुविधा की दृष्टि से माह जनवरी-2024, फरवरी-2024 व मार्च-2024 के लिए रिमाण्ड ड्यूटी (अवकाश के दिनों में) से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तालिका के अनुसार निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है-

क्र.सं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड माह
01	सुश्री नीतिका राजपूत, सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० नवीन गोण्डा	जनवरी-2024
02	श्री अरूण गौतम, सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० द्वितीय, गोण्डा	फरवरी-2024
03	सुश्री वृषाली गुप्ता, सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० प्रथम, गोण्डा	मार्च-2024

समस्त सम्बन्धित को सूचित हों।

(अपेक्षा सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा  
19.12.2023

**प्रतिलिपि:-** 1-माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, गोण्डा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।  
2-श्रीमान प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, गोण्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
3-सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० प्रथम, गोण्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
4-सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० द्वितीय, गोण्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
5-सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० नवीन गोण्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अपेक्षा सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा  
19.12.2023